अनुबन्ध - 8

## केंद्रीय सहायता से मुक्त स्कीमें

स्कीम का नाम
राष्ट्रीय ई-शासन योजना
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष
पुलिस बलों का आधुनिकीकरण
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसए)
निर्यात अवसंरचनाओं के विकास के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता की स्कीम
6000 मॉडल स्कीमों की स्थापना की स्कीम
राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन
पर्यटन अवसंरचना

टिप्पणी: 14हवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप राज्य चाहें तो अपने वृद्धित संसाधनों से इन स्कीमों को जारी रखने (या न रखने) का निर्णय कर सकते है।

## अनुबन्ध - 8क

## केंद्र सरकार से पूर्णतः प्रायोजित स्कीमें

	<del>-</del>
क्र.सं.	स्कीम का नाम
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम (एमजीएनआरईजीए)
2.	अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)
3.	अस्वच्छ कार्यों से जुड़े बच्चों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम
4.	छात्रवृत्ति स्कीमें (पूर्व तथा पश्च मैट्रिक) अ.जा.अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए
5.	नागरिक अधिकार अधि. 1955 के संरक्षणों के कार्यान्वयन और अल्पाचार निवारण अधि. 1969 के लिए मशीनरी को सहयोग
6.	राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति कार्यक्रम
7.	अल्पसंख्यकों को शिक्षा उपलब्ध करने की स्कीम
8.	जनजातीय बच्चों की शिक्षा के लिए अम्ब्रैला स्कीम
9.	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई)
10.	एकीकृत शिशु संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)
11.	राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम (आरजीएसईएजी)-सबला
12.	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एनएनएम)
13.	महिला सुरक्षा तथा विकास स्कीम
14.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुकों के अन्तर्गत सहायता स्कीमें
15.	जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता
16.	सर्व शिक्षा अभियान (शिक्षा उपकर द्वारा निधि पोषित)
17.	मध्यान्ह भोजन
18.	पूर्वोत्तर जीवन के लिए विशेष पैकेज
19.	बुन्देल प्रादेशिक परिषद के लिए विशेष पैकेज
20.	अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएपी)
21.	सिक्किम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संसाधनों के विशेष पूल के लिए अनुदान
22.	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम
23.	अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु सहायता
24.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
25.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमपीएलएडीएस)
26.	प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए उपकर आधारित आबंटन
27.	केंद्रीय सड़क निधि से निधि-पोषित सड़के व पुल
28.	बाघ परियोजना
29.	हाथी परियोजना
30.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ऋण भाग)
31.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (अनुदान भाग)

अनुबन्ध - 8ख

## परिवर्तित हिस्सेदारी के साथ जारी स्कीमें

क्र.सं.	स्कीम का नाम
1.	पशुधन विकास
2.	एकीकृत बागवानी विकास मिशन
3.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
4.	राष्ट्रीय पशुधन मिशन
5.	राष्ट्रीय वहनीय कृषि विकास मिशन
6.	डेयरी विकास अभियान
7.	पशुचिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य
8.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
9.	स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण और शहरी)
10.	राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम
11.	राष्ट्रीय जल-पीरिस्थतिकी-प्रणाली योजना, (एनपीसीए)
12.	राष्ट्रीय एड्स तथा एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम
13.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिश्रन
14.	राष्ट्रीय शहरी पशुधन मिशन (एनयूएलएम)
15.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)
16.	राज्य उच्च शिक्षा के लिए कार्यनीतिक सहायता-राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (रुसा)
17.	न्यायपालिक के लिए अवसंरचना विकास
18.	राष्ट्रीय भू-रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम
19.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)
20.	ग्रामीण आवास-सबके लिए घर
21.	समेकित बाल विकास सेवा
22.	राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) भूतपूर्व-पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए)।
23.	पीएमकेएसवाई (वाटरशेंड तथा लघुसिंचाई कार्यक्रमों को मिलाकर)
24.	एआईबीएफएमपी के मूल्यांकन अध्ययनों का प्रभाव

टिप्पणी: 14हवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को कर संसाधनों के प्रचुर अन्तरणों के महेनजर केंद्र-राज्य निधि पोषण का तारीका अब बदल रहा है। अब राजस्व व्यय राज्यों के द्वारा वहन किया जाएगा। परिवर्तित निधि-पोषण के पैर्टन से स्कीमों के समग्र व्यय में कोई कमी नहीं होगी।